मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2017 (फाल्गुन 8, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय घोषणा

मुख्य प्रतिपक्षी दल के नेता को मान्यता की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि - मध्यप्रदेश विधान सभा में मुख्य प्रतिपक्षी दल, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के नेता, श्री सत्यदेव कटारे के निधन के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस विधायक दल के द्वारा चयनित किए गए नवीन नेता श्री अजय सिंह, सदस्य को अध्यक्ष के स्थाई आदेश के क्रमांक 92 (3) की अपेक्षानुसार विधिवत् नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्रदान करता हूँ. अध्यक्ष महोदय एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं. श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आभार व्यक्त किया गया.

2. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अरूण यादव, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 149 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 170 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. बहिर्गमन

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भोपाल सेन्ट्रल जेल का निरीक्षण करने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 2085) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेश्नल काँग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

5. शून्यकाल में उल्लेख

(1) माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनके आसन पर बिठाए जाने विषयक

श्री बाबूलाल गौर, सदस्य द्वारा नेता प्रतिपक्ष को उनके नियत स्थान पर बिठाए जाने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न उठाए जाने पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि चूंकि आज ही उनके नाम की घोषणा हुई है, इसलिए अभी वह वहां पर बैठे हैं. उसका भी निराकरण कर देंगे.

(2) प्रश्नों के उत्तर समय पर आने विषयक

श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – आज की प्रश्नोत्तरी के अधिकांश प्रश्नों के उत्तर में जानकारी एकत्रित की जा रही है, बताया है और किसी भी प्रश्न का उत्तर एक साल बाद आने से उसकी प्रासंगिकता नहीं रह जाती है. सरकार इस पर मौन रहती है. हर सत्र में इस पर बात होती है और निर्णय कुछ नहीं होता है. इस तरह से हमारे अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि जिन प्रश्नों की जानकारी एकत्रित की जा रही है, उनका नियम है कि अगले सत्र के पहले दिन उनके उत्तर रख दिए जाते हैं, साल भर इंतजार नहीं करना पड़ता. उसके बाद भी यदि कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं आते हैं तो वे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को प्रेषित कर दिए जाते हैं, इसमें सभी दलों के विधायक होते हैं, वह उसकी जांच करके निराकरण करती है. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि प्रश्नों के लिए जो समय सीमा निर्धारित है, उसी के भीतर प्रश्नों के उत्तर आएं. संसदीय कार्यमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि वे इस विषय को गंभीरता से लें कि जो प्रश्न आते हैं, उनके विभागों से उत्तर भी आना चाहिए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि आसंदी के निर्देश का गंभीरता से पालन किया जायेगा.

(3) माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सभी ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को जवाब हेतु विभागों को भेजे जाने विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री आरिफ अकील, सदस्यगण द्वारा उल्लेख किया गया कि – विधान सभा की कई परम्पराएं बदली जा रही हैं. ध्यानाकर्षण, स्थगन, लोक महत्व के विषय अत्यावश्यक होते हैं और बिना किसी प्रयास के सदन में आते रहे हैं. सत्ता पक्ष को तो वैसे ही पूरा संरक्षण रहता है. विपक्ष के विधायकों को भी आपका संरक्षण अति आवश्यक है और मिलना भी चाहिये. कौन से अति महत्व और जनहित के मुद्दे है उन्हें भी चर्चा में आना चाहिए. पहले जो ध्यानाकर्षण लगते थे, विभाग को जवाब हेतु जाते थे परन्तु अब आपके सचिवालय से ही समाप्त कर दिए जाते हैं, विभाग को जवाब हेतु नहीं भेजे जाते हैं. हमारा आपसे निवेदन यह है कि सभी के जवाब आने दें, जिस पर आप उचित समझें, उस पर चर्चा करायें, अगर उचित नहीं है, तो आपको अधिकार है कि उसे चर्चा में न लें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि- डॉ. गोविन्द सिंह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं. यह विषय यहां का नहीं था, किन्तु फिर भी आप इसको यहां लाये हैं, जो ध्यानाकर्षण बिलकुल अव्यावहारिक होते हैं, उनको छोड़कर के, लगभग सभी सूचनाएं विभागों में जाती हैं. आज के ध्यानाकर्षण भी बिना सिफारिश के आये हैं. डॉ. गोविन्द सिंह के ध्यानाकर्षण भी अक्सर बिना सिफारिश के ही आते हैं और हर सत्र में एक-दो आते हैं. इसलिए आपका यह आरोप उचित नहीं है. यह बात ठीक है कि माननीय सदस्य आते हैं और अपने विषय की गंभीरता को बताते हैं. यदि मुझे उचित लगता है तो उसे लेते हैं और नहीं तो उनको भी मना कर देते हैं, यह अधिकांश माननीय सदस्य जानते हैं. कृपा करके ऐसे आरोप नहीं लगायें, फिर भी यदि कोई आपको ऐसी असुविधा होती है, तो हम उसका निराकरण करने के लिये तत्पर हैं.

डॉ. गोविन्द सिंह ने कथन किया कि - "अध्यक्ष महोदय यह हमारा आरोप नहीं, बल्कि हमने आपसे निवेदन किया है."

6. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर व प्रदेश के समस्त चिड़ियाघरों में लापरवाही करने,
(2) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य ने इछावर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण न किये जाने,
(3) श्री दिनेश राय, सदस्य ने सिवनी जिले के ग्राम-केकड़ा में खाद-बीज भण्डार दुकान प्रारम्भ किये जाने,
(4) श्री संजय उइके, सदस्य ने बैहर विधानसभा के ग्राम गढ़ी एवं उकवा में महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने उज्जैन संभाग में नापतौल विभाग के अधिकारियों द्वारा लापरवाही करने तथा
(6) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य ने कृषि विषय के व्याख्याता का पद रिक्त होने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री महेन्द्र हार्डिया, सदस्य ने इंदौर के निपानिया एवं पिपलिया कुमार ग्राम स्थित तुलसी नगर कालोनी को वैध न किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य ने सिंगरौली जिले के गोरबी कॉलरी के पास कोयला लोडिंग से प्रदूषण फैलने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(2) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(3) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला- मुरैना)
(4) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(5) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(6) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगौन)
(7) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(8) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(9) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(10) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(11) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन नगर)
(12) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(13) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(14) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(15) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(16) श्री रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(17) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(18) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(19) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(20) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(21) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-भोपाल शहर)
(22) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(23) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(24) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(25) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(26) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(27) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(28) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(29) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(30) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(31) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)

9. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सुश्री उषा ठाकुर, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर 23 फरवरी, 2017 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(14) श्री कमलेश्वर पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(15) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(16) श्री जितू पटवारी
(17) श्री मुरलीधर पाटीदार

(अपराह्न 1.30 से 3.13 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(18) डॉ. गोविन्द सिंह
(19) डॉ. कैलाश जाटव
(20) श्री दिनेश राय
(21) श्री वैलसिंह भूरिया
(22) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(23) श्री के.के. श्रीवास्तव
(24) श्रीमती शीला त्यागी
(25) डॉ. रामकिशोर दोगने
(26) श्री सुदर्शन गुप्ता

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(27) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (भाषण पूर्ण)

(चर्चा जारी)

अपराह्न 5.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2017 (9 फाल्गुन, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 27 फरवरी, 2017